दिनांक 05.09.2023 को जल निगम(ग्रामीण) के अनुरक्षणाधीन पाइप पेयजल परियोजनाओं से सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव के बैठक की कार्यवृत्ति :–

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 05.09.2023 को दोपहर 12.00 बजे से विकास भवन के सभा कक्ष में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में 16 पेयजल परियोजनाओं को ग्राम पंचायतों को हस्तगत कराये जाने से सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव के साथ बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में जिला विकास अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण), समस्त सहायक/ अवर अभियन्ता जल निगम, सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान एवं सचिव उपस्थित थे।

बैठक में सभी 16 परियोजनाओं का परियोजनावार समीक्षा की गई, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

1 – **रूपचन्दपुर** :– जल निगम के अवर अभियन्ता द्वारा बताया गया कि ब्रहम्ण बस्ती में सीसी कार्य पूर्ण करा दिया गया है तथा यादव बस्ती में कुछ कार्य कराया जाना शेष है जिसे शीघ्र पूर्ण करा दिया जायेगा। बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि कुछ किसानों द्वारा सिंचाई का कार्य किये जाने के कारण पानी नहीं पहुँच पा रहा है। सम्बन्धित अवर अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि सिंचाई का कार्य कर रहे किसानों का अवैध कनेक्शन काट कर निरन्तर जलापूर्ति सुनिश्चित करायें।

2 **गरथौली** :– ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा बताया गया कि अभी 300 मी0 पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य कराया जाना शेष है। अवर अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह के भीतर सभी कार्यों को पूर्ण कराकर जलापूर्ति सुनिश्चित करायें।

3 – **नई बाजार पतेरवॉ** :– बैठक में अवर अभियन्ता, जल निगम द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत में पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य तथा अन्य कार्यों को पूर्ण करा दिया गया है, ग्राम पंचायत में जलापूर्ति हो रही है। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि दिनांक 28.06.2023 को पेयजल परियोजना ग्राम पंचायत को हैण्ड ओवर करा दिया गया है। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि पेयजल परियोजना से सम्बन्धित समस्त कार्यों का पुनः सत्यापन कराकर अवशेष कमियों का निराकरण कराते हुए निरन्तर जलापूर्ति सुनिश्चित कराय

4 – **अमौली** :– ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि लोहार बस्ती, ठाकुर बस्ती,गोंड़ बस्ती एवं मौर्या बस्ती में पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य शेष है परन्तु लीकेज की समस्या है तथा मेन लाइन जर्जर है। अवर अभियन्ता द्वारा बताया गया कि लो0नि0वि0 द्वारा पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य कराये जाने के कारण जलापूर्ति बाधित है। 300 मी0 के सापेक्ष 200 मी0 पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। अधिशासी अभियन्ता,ग्रामीण(जल निगम) द्वारा बताया गया कि आपरेटर के कमी की समस्या के कारण एक बार ही जलापूर्ति की जा रही है। अवर अभियन्ता द्वारा आश्वस्थ किया गया कि 10 दिनों में समस्त काय करा दिया जायेगा। सम्बन्धित अवर अभिसन्ता को निर्देशित किया गया कि 10 दिनों में समस्त कार्य पूर्ण कराकर जलापूर्ति सुनिश्चित करायें।

5 – **रैपुरा** :– ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत में अभी लगभग 200 परिवारों को कनेक्शन दिया जाना शेष है तथ स्टेब्लाइजर लगा दिया गया है, जिसके फलस्वरूप बाल्टेज की समस्या का समाधान हो गया हैं। सम्बन्धित अवर अभियन्ता द्वारा आश्वस्थ किया गया कि 15 दिनों में अवशेष परिवारों को कनेक्शन दे दियां जायेगा। अवर अभियन्ता, जल निगम को निर्देशित किया गया कि ग्राम प्रधान / सचिव से समन्वय स्थापित कर 15 दिनों में सभी अवशेष परिवारों को कनेक्शन दे कर जलापूर्ति सुनिश्चित करायें।

6 – **सीवों** :– सीवों के ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत में जलापूर्ति हो रही है परन्तु लीकेज की समस्या है तथ पाइप लाइन बिछाये जाने में क्षतिग्रस्त खड़ंजा का मरम्मत अभी तक नहीं कराया गया है। श्री शैलेन्द्र सोनकर, ग्राम पंचायत सचिव को निर्देशित किया गया कि पेयजल परियोजना सीवों में लीकेज के स्थल का चिन्हांकन कर उसकी सूची अधिशासी अभियन्ता, जल निगन (ग्रामीण) वाराणसी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिससे कि जल निगम द्वारा उक्त समस्या का समाधान कराया जा सके।

7 – **विशोखरपुर (औढ़े)** :– ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया कि 3–4 बस्तियों में पानी नहीं पहुँच रहा है तथा अवर अभियन्ता ग्राम पंचायत में नहीं आते हैं जिसके कारण समस्या का निराकरण नहीं हो पाता है। सम्बन्धित सहायक/अवर अभियन्ता

Scanned with OKEN Scanner

7 — विशोखरपुर (औढ़े) :— ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया कि 3—4 बस्तियों में पानी नहीं पहुँच रहा है तथा अवर अभियन्ता ग्राम पंचायत में नहीं आते हैं जिसके कारण समस्या का निराकरण नहीं हो पाता है। सम्बन्धित सहायक/अवर अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि ग्राम प्रधान एवं सचिव के साथ ग्राम पंचायत का सत्यापन कर समस्या का निराकरण करायें तथा सभी मजरों में जलापूर्ति सुनिश्चित करायें।

8 — पुआरीकला :— ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत के सभी मजरों में पाइप लाइन नहीं बिछाया गया है, जिसके कारण पेयजल की समस्या है। श्री अजय यादव, अवर अभियन्ता, जल निगम द्वारा बताया गया कि छोटा पूरवा एवं रेहड़ा में पानी नहीं जा रहा है तथा कुछ किसानों द्वारा सिंचाई का कार्य किये जाने के कारण भी पानी पहूँचने में कठिनाई होती है। अवर अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि ग्राम प्रधान से समन्वय स्थापित कर 10 दिनों के भी अवैधरूप से सिंचाई कर रहे किसानों के कनेक्शन काटने की कार्यपूर्ण करायें तथा अवशेष मजरों में पाइप लाइन बिछा कर सुचारू रूप से जलापूर्ति सुनिश्चित करायें।

9 — राजापुर :— राजापुर के ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत में पिछली बैठक में जो स्थिति थी अभी भी वही स्थिति बनी हुई है, कोई कार्य नहीं कराया गया है। अवर अभियन्ता, जल निगम को निर्देशित किया गया कि ग्राम प्रधान एवं सचिव के साथ मिलकर सत्यापन कर 15 दिनों के भीतर समस्यों का निराकरण कराना सुनिश्चित करायें तथा पाइप लाइन के अवशेष कार्य को पूर्ण करायें।

10 — ककरहिया :— ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया कि सभी कार्यों को पूर्ण करा दिया गया है, ग्राम पंचायत में पेयजल सम्बन्धी कोई समस्या नहीं है। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि एक बार पुनः अपने स्तर से सत्यापन कराकर कमियों को निराकरण कराये जाने के उपरान्त परियोजना ग्राम पंचायत को नियमानुसार हैण्ड ओवर कराना सुनिश्चित करायें।

11 — रमना :— बैठक में बताया गया कि मलहिया बस्ती बस्ती में अभी कनेक्शन नहीं दिया गया है। अवर अभियन्ता, जल निगम द्वारा बताया गया कि अवशेष परिवारों को कनेक्शन दिये जाने का कार्य चल रहा है। अवर अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त बस्ती के अवशेष परिवारों को कनेक्शन देने की कार्यवाही 10 दिनों में पूर्ण कराना सुनिश्चित करायें।

12 — बसन्तपट्टी :— ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया कि लीकेज की समस्या है। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत के विभिन्न बस्तियों में सिंचाई करने वाले 20—25 से अधिक अवैध कनेक्शन काटे गये हैं। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि सिंचाई वाले किसानों के अवैध कनेक्शन को तत्काल काटने की कार्यवाही कराते हुए लीकेज व अन्य समस्याओं का निराकरण कराकर जलापूर्ति सुनिश्चित करायें।

13 — भत्सार :— भत्सार के ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया कि अनु0जा0 बस्ती में पानी नहीं जा रहा है। अवर अभियन्ता द्वारा बताया गया कि अनु0जा0 बस्ती में पाइप लाइन बिछाया जा रहा है। अवर अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि ग्राम प्रधान के साथ ग्राम पंचायत का सत्यापन कर अवशेष कार्यों को 10 दिनों में पूर्ण कराते हुए जलापूर्ति सुनिश्चित करायें।

14 — जन्सा :— जन्सा के ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया कि जन्सा पेयजल परियोजना जलालपुर में अधिष्ठापित है तथा जन्सा के 60 प्रतिशत भाग में पानी नहीं आता है, पाइप लाइन बिछाकर कनेक्शन दिये जाने का कार्य शेष है। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा बताया गया कि जन्सा पेयजल परियोजना के जिस क्षेत्र में पानी नहीं पहुँच रहा है, उसे चौखण्डी पेयजल परियोजना से आच्छादित कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि ग्राम पंचायत जन्सा के अवशेष भाग में पाइप लाइन बिछाकर परिवारों को कनेक्शन दिलाते हुए जलापूर्ति सुनिश्चित करायें।

15 — फूलपुर :— बैठक में ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत के 03 बस्ती में पानी नहीं पहूँच रहा है तथा लीकेज की समस्या है। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम को निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित अवर अभियन्ता से ग्राम पंचायत एवं सम्मिलित मजरों का सत्यापन कराकर अवशेष कार्यों को पूर्ण कराना सुनिश्चित करायें।

16 — अल्लोपुर :— ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत के कुल 08 बस्तियों में से 06 बस्तियों में पानी जा रहा है परन्तु 02 बस्ती में पानी नहीं जा रहा है तथा पाइप लाइन बिछाये जाने में खोदे गये सी0सी0 रोड एवं इण्टरलाकिंग के

Scanned with OKEN Scanner

16 – अल्लोपुर :– ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत के कुल 08 बस्तियों में से 06 बस्तियों में पानी जा रहा है परन्तु 02 बस्ती में पानी नहीं जा रहा है तथा पाइप लाइन बिछाये जाने में खोदे गये सी0सी0 रोड एवं इण्टरलाकिंग के मरम्मत का कार्य नहीं कराया गया है। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम को निर्देशित किया गया कि अवशेष 02 मजरों का सत्यापन कराकर अवशेष कार्यों को पूर्ण कराकर जलापूर्ति सुनिश्चित करायें।

बैठक में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायतों को परियोजना हैण्ड ओवर किये जाने के उपरान्त एक वर्षा तक जल निगम द्वारा परियोजना का मेन्टेनेन्स किया जाता है। अधिशासी अभियन्ता जल निगम को निर्देशित किया गया कि ग्राम पंचायतों को हैण्ड ओवर की गई परियोजनायें जिनका मेन्टेनेन्स आप द्वारा किया जा रहा है, की सूची जिला विकास अधिकारी, वाराणसी को उपलब्ध करायें।

बैठक में उपस्थित सभी ग्राम प्रधान एवं पंचायत ग्राम पंचायत सचिव को निर्देशित किया गया कि परियोजना का कार्य कार्य सम्पूर्ण रूप से करये जाने के उपरान्त ही हैण्ड ओवर की कार्यवाही सुनिश्चित करें। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम को निर्देशित किया गया कि परियोजना के अन्तर्गत सम्मिलित मजरों में समस्त कार्य पूर्ण कराये जाने के उपरान्त ही सम्बन्धित ठेकेदार का भुगतान न किया जाय।

अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त पेयजल परियोजनाओं के समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित करायें।

(हिमांशु नागपाल)
मुख्य विकास अधिकारी
वाराणसी।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी–वाराणसी।

पत्रांक– 1323 /ग्रा0पे0का0/बैठक–कार्य0/2023–24 दिनांक– 15 सितम्बर,2023

पत्रांक– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।

1 – जिलाधिकारी महोदय,वाराणसी की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

2 – जिला विकास अधिकारी ,वाराणसी।

3 – अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) वाराणसी।

4 – समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद–वाराणसी को इस निर्देश के साथ कि अपने विकास खण्ड से सम्बन्धित पेयजल परियोजना के ग्राम प्रधान/सचिव को उक्त कार्यवृत्ति से अवगत कराना सुनिश्चित करें तथा समस्याओं के निराकरण में अपने स्तर से भी कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

5 – सम्बन्धित सहायक/अवर अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) को अनुपालनार्थ

मुख्य विकास अधिकारी
वाराणसी।

Scanned with OKEN Scanner